धारा 53 : इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर, जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित हैं, केन्द्रीय कर के रूप में संग्रहीत रकम में से इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम को घटा दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी।